सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 5/2018

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

श्री कुंज बिहारी नामा पुत्र गोबरीलाल नामा उम्र 60 वर्ष जाति छीपा निवासी बृज बिहारी कॉलोनी वार्ड नं0 9 अन्ता जिला बारॉ (मौके पर मौजुद विक्रेता व मालिक) मैसर्स मधुर आईसक्रीम, मुक्तिधाम मार्ग अन्ता जिला बारॉ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 21.12.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.5.2017 को मैसर्स मधुर आईसक्रीम, मुक्तिधाम मार्ग अन्ता जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री कुंज बिहारी नामा पुत्र गोबरीलाल नामा **(विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 23.5.2017 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी** रखी हुई थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **आईसकेण्डी** विक्रेता से 1200 ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत श्री कुंज बिहारी नामा पुत्र गोबरीलाल नामा को 120/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा **आईसकेण्डी** 1200 ग्राम चार नमूना भागो मे विभक्त कर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी सकडे मुह की शिशिया दिखाकर प्रत्येक नमुना भाग को प्रत्येक शिशि मे डाला एवं प्रत्येक नमुना शिशियो मे बतोर परीरक्षक फार्मलीन की 24–24 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शिशि पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ.

के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–723 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना शिशियो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना शिशि पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच. 723 नियमानुसार चारो नमूना शिशियो पर नीचे से उपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना शिशि पर विक्रेता एवं गवाहो के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे तथा मेने भी नमूना शिशियो पर हस्ताक्षर कर चारो नमूना शिशियो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री कुंज बिहारी नामा पुत्र गोबरीलाल नामा ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/152 दिनांक 20.6.2017 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 411/FSSA/Kota/Act/2017/406 दिनांक 8.6.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी 1200** ग्राम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **असुरक्षित (Unsafe)** होना पाया गया। जिससे अप्रार्थी सन्तुष्ट नही होने के कारण पुनः जॉच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री पूणे मे भिजवाया गया। जहॉ से जवाब प्राप्त हुआ कि नमूना टूटा हुआ प्राप्त हुआ है जिस कारण जांच करना असम्भव है। इस पर नमूने का तृतीय भाग जांच हेतु भिजवाया गया। जिसकी जांच रिपोर्ट क्रमांक DO/281/17/1003/2017 दि. 25.9.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 8.2.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया उसके पश्चात प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी 1200** ग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ ने मैसर्स मधुर आईसक्रीम अन्ता के (आईसकेन्ड) उत्पाद मे मिलावट व मिथ्याछाप के शक के आधार पर दिनांक 23.5.2017 को लिये गये नमूनो की खाद्य विश्लेषक कोटा की जांच दिनांक 8.6.2017 एवं रेफरल फूड लेबोरेट्री पूर्व की नमूना जांच दिनांक 25.9.2017 के आधार पर धारा 26 उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के आधार पर प्रस्तुत किया गया परिवाद दो विराधाभासी जांच रिपोर्टो पर आधारित होने से परिवाद

निरस्तनीय है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आईसकेन्डी का लिया गया नमूना एवं लिये गये नमूने की पैकिंग एवं नमूने के रखरखाव की सुरक्षा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4–1 प्रक्रिया एवं प्रावधानानुसार न होने से परिवाद निरस्तनीय है। यह कि नमूने का विश्लेषण करने वाली प्रयोगशालाये फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा एवं रेफरल फूड लेबोरेट्री पूर्ण नेशनल एक्क्रडिटेशन बोर्ड से टेस्टिंग एड केलिब्रेशन का विश्लेषण करने बाबत मान्यता प्राप्त नही है। यह कि फूड सेफ्टी एवं स्टेण्डर्ड लेबोरेट्री कोटा की जांच रिपोर्ट दिनांक 8.6.2017 मे स्टेट ऑफ सेकरीन उपस्थित होना मानकर खाद्य पदार्थ को असुरक्षित होने की राय दी गई है। जबकि रेफरर फूड लेबोरेट्री पूना द्वारा नमूना संख्या एएच 723 की तीन माह बाद की गई जांच दिनांक 25.9.2017 की राय मे खाद्य पदार्थ आईस केन्डी को अमानक बताया है। दोनो रिपोर्टो की राय विरोधभासी एवं असंगत होने से साक्ष्य मे ग्राहय दस्तावेज नही होते हुये भी अप्रार्थी के विरूद्व एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 (ा) का उल्लघंन मानकर परिवाद पेश किया जो साक्ष्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के विधि प्रावधानों से असंगत होने से कार्यवाही बन्द किये जाने बाबत है।

यह कि आईसकेन्डी दिन प्रतिदिन के उपयोग के लिये उत्पाद की जाती है। जिससे सुरक्षित अवस्था मे सात दिन से ज्यादा सुरक्षित नही रखा जा सकता। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.5.2017 को लिये गये नमूनो की प्रथम जांच दिनांक 8.6.2017 के 16 दिन बाद की है। दूसरी जांच दिनांक 25.9.2017 63 दिन बाद की है जो उत्पाद की एक्सपाईरी अवधि बाहर होते हुये भी रेफरल फूड लेबोरेट्री पूणे की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.9.2017 जो साक्ष्य मे अग्राहय दस्तावेजात की अवैधानिक राय को आधार मानकर अप्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही बन्द किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाही ड्रोप की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय की गयी, खाद्य पदार्थ **आईसकेण्डी 1200 ग्राम** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को 5000/– रूपये अक्षरे पॉच हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)